1783/24-06-2021

दिनांक– 23.06.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अध्यक्षता में हुई विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षात्मक बैठक के मुख्य बिन्दु।

दिनांक–23.06.2021 को अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा की गई विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की समीक्षात्मक बैठक के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

1. पूर्व में दिए गए निदेश के अनुपालन में विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया अंतर्गत Spatial and Textual Data Intergration के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों के आलोक में अलग–अलग चार प्रकार के प्रस्ताव तैयार किए जाएँ। निम्नांकित चार प्रस्तावों से संबंधित संचिका दिनांक–28.06.2021 तक निश्चित रूप से उपस्थापित की जाए –

    (क) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम में आवश्यकतानुसार संशोधन

    (ख) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली में संशोधन

    (ग) बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम मे संशोधन

    (घ) बिहार दाखिल–खारिज नियमावली में संशोधन

    उपर्युक्त संशोधन के संबंध में स्पष्ट किया गया कि यदि किसी अधिनियम/ नियमावली में संशोधन की आवश्यकता नहीं हो तो भी उसमें इस आशय का प्रस्ताव दिया जाए कि "इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है।" उक्त प्रस्तावों के संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया कि Pre-mutation तैयार होने वाले मानचित्रों को अद्यतन करने के लिए अंचल में स्थायी कर्मियों की पदस्थापना के स्थान पर लाइसेंस सर्वेयर को अनुज्ञप्ति देने का प्रस्ताव तैयार किया जाए।

    उक्त प्रस्तावों के संबंध में बैठक में उपस्थित श्री विनोद कुमार झा, सदस्य भूदान जाँच आयोग को निदेशालय से प्रस्ताव प्राप्त कर उन्हें जाँचोपरान्त अन्तिम रूप देने का अनुरोध किया गया।

2. GIS Expert Agency के संबंध में तैयार RFP के संबंध में प्रस्तावित एजेंसी को भुगतान करने के संबंध में GIS LAB की स्थापना पर होने वाले एक मुश्त व्यय, Mobilization Advance एवं मासिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाए। इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्तावों में एजेंसी द्वारा स्थापित GIS LAB की स्थापना उसके कार्य, कार्यो की अनुश्रवण इत्यादि को स्पष्ट किया जाए। साथ ही इस संबंध में पटना विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए।

    उक्त के आधार पर सभी प्रस्तावों को अंतिम रूप प्रदान करते हुए दिनांक– 28.06.2021 को संचिका उपस्थापित की जाए।

3. MRR (आधुनिक अभिलेखागार भवन) के संबंध में जिला स्तर पर इसके क्रियान्वयन में होने वाले विलंब पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके संबंध में तैयार की गई समय सीमा को संशोधित करने का निर्णय हुआ। वैसे अंचलों में जहाँ उपस्करों इत्यादि का क्रय किया जा चुका है, में MRR को क्रियाशील करने की तिथि 15.07.2021 एवं जिनमें उपस्करों का क्रय किया जाना है उनमें दिनांक–15.08.2021 की तिथि निर्धारित की गई। MRR में कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बेल्ट्रान से संपर्क कर तीन दिन के अंदर जिलों में कर्मियों के पदस्थापना की जाए। जिन जिलों द्वारा निविदा प्रकाशित नहीं की गई है। उन्हें दूसरे जिलों की निविदा नमूना के रूप में तुरंत उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी जिले को आवंटन की आवश्यकता हो तो यथाशीघ्र आवंटन उपलब्ध करा दिया जाए। आधुनिक अभिलेखागार के क्रियान्वयन को सुपौल जिले से प्रारंभ किया जाए।

4. वर्त्तमान समय में वर्षा ऋतु के कारण विशेष सर्वेक्षण का कार्य बाधित होने की दशा में सभी विशेष सर्वेक्षण चयनित जिलों के शेष सभी अंचलों में नए शिविर स्थापित करने के संबंध में स्पष्ट किया गया कि नए गठित होने वाले शिविरों के संबंध में सर्वप्रथम आम जनता को अवगत कराया जाए एवं शिविरों

द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। जिलों में कार्यरत सभी शिविरों को दो श्रेणी पूर्व से कार्यरत एवं नवगठित शिविर में, बाँटते हुए उनका अनुश्रवण किया जाए। प्रथम श्रेणी के जो शिविर पूर्व से कार्यरत है उनका अनुश्रवण पूर्व से निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाए, जबकि नवगठित शिविरों का अनुश्रवण प्रारंभिक स्तर पर किए जाने वाले कार्यों के अनुरुप किया जाए।

5. मानचित्रों की Door Step Delivery के संबंध में ऑनलाइन A4 साइज में उपलब्ध कराए जाने वाले मानचित्रों में डिजिटल हस्ताक्षर और वाटरमार्क देते हुए मानचित्र के अन्त में उपयोग संबंधी स्पष्ट नोट अंकित किया जाए। साथ ही वर्त्तमान समय में डाक द्वारा मानचित्र उपलब्ध कराने संबंधी प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए।

6. राजस्व सर्व प्रशिक्षण संस्थान, बोधगया में भवन निर्माण विभाग द्वारा किए गए कार्यो का भली-भाँति अनुश्रवण कर सभी कमियों के बारे में भवन निर्माण विभाग को अवगत करा दिया जाए। भवन निर्माण विभाग द्वारा सभी प्रकार की कमियों को दूर करने के पश्चात् पूर्ण रूप संतुष्ट होने के पश्चात् ही भवनों को हस्तगत करने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।

(जय सिंह) 24/6/21
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84/2019 1783 **पटना, दिनांक** :- 24-06-2021

प्रतिलिपिः- सहायक निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप/उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग/श्री चंदन कुमार, जी0आई0एस0 सलाहकार, भू-अभिलेख एवं परिमाप, निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84/2019 1783 **पटना, दिनांक** :- 24-06-2021

प्रतिलिपिः- सुश्री सुरभि सिंह, एम0आई0एस0 डाटा एनालिस्ट, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांकः – 17-विशेष सर्वेक्षण (कार्यवाही) – 84/2019 1783 **पटना, दिनांक** :- 24-06-2021

प्रतिलिपिः- अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाप 24/6/21